

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी / 1994-III/ 490

दिनांक :- 21/06/2023

आदेश संख्या:- 22 / 2023-24

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ.14(88)एफ.डी./रूल्स/2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिकों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वसित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स में लेवल L-13 स्वीकृत की जाती हैं।

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/ बैच नं.	लिंक नम्बर	कनिष्ठ लेखाकार /समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	घनश्याम लाल कुमावत	360/94	4317	28.02.1996	28.02.2023	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
2.	अनिल कुमार विजय	361/94	4305	28.02.1996	28.02.2023	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
3.	महेश राज बिरसा	370/94	2917	24.02.1996	24.02.2023	
4.	भीखाराम सोलंकी	371/94	8767	08.03.1996	08.03.2023	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
5.	महेश कुमार गुप्ता	378/94	2920	02.03.1996	02.03.2023	
6.	पन्ना लाल सांखला	381/94	2667	11.03.1996	11.03.2023	
7.	रमेश जायसवाल	386/94	2605	26.02.1996	26.02.2023	
8.	राकेश टांक	393/94	2609	22.02.1996	22.02.2023	
9.	भंवरलाल प्रजापत	394/94	4423	24.02.1996	24.02.2023	
10.	सुरज प्रकाश सोनी	398/94	5272	23.02.1996	23.02.2023	
11.	राजेन्द्र कुमार सैनी	399/94	2610	19.02.1996	19.02.2023	
12.	मुरली मनोहर	403/94	2923	01.03.1996	01.03.2023	
13.	शरद वर्मा	405/94	5275	26.02.1996	26.02.2023	
14.	रामेश्वर लाल सैन	408/94	2613	23.02.1996	23.02.2023	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
15.	जितेन्द्र कुमार यादव	416/94	2623	24.02.1996	24.02.2023	
16.	शंकर लाल सैनी	431/94	5290	27.02.1996	27.02.2023	
17.	सुभाष चन्द्र	433/94	5383	19.03.1996	19.03.2023	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
18.	अर्जुन सिंह	443/94	4348	07.03.1996	07.03.2023	
19.	राजीव विजय	451/94	2629	20.02.1996	20.02.2023	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
20.	ओमप्रकाश वैष्णव	452/94	2793	21.03.1996	21.03.2023	
21.	दिलीप कुमार सैनी	453/94	4282	11.03.1996	11.03.2023	
22.	शंकर लाल सैनी	462/94	5401	16.03.1996	16.03.2023	
23.	ओम प्रकाश शर्मा	469/94	2798	02.03.1996	02.03.2023	
24.	ओम प्रकाश प्रजापत	481/94	2799	24.02.1996	24.02.2023	
25.	भगवान सहाय कुम्हार	490/94	4466	13.03.1996	13.03.2023	
26.	श्रीमोहन यादव	493/94	5421	01.03.1996	01.03.2023	
27.	कालूराम	495/94	2722	16.03.1996	16.03.2023	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
28.	बालाराम शर्मा	497/94	4465	11.03.1996	11.03.2023	
29.	ओमप्रकाश सैनी	506/94	2801	16.03.1996	16.03.2023	
30.	तुलसीराम	515/94	5509	14.03.1996	14.03.2023	
31.	रमेश चन्द बैरवा	524/94	2646	06.03.1996	06.03.2023	

32.	जगमाहन खीची	528/94	2627	11.03.1996	11.03.2023	
33.	नरेन्द्र कुमार	537/94	3081	12.03.1996	12.03.2023	
34.	राजेश कुमार मीणा	554/94	2413	13.03.1996	13.03.2023	
35.	नन्द किशोर बैरवा	563/94	3084	01.03.1996	01.03.2023	
36.	शिवराम मीणा	586/94	5490	01.03.1996	02.03.2023	
37.	शैलेश भावसार	DGS/94	5918	A/N 06.03.1996	06.03.2023	

उपरोक्त तालिका में कम संख्या 01, 02, 04, 14, 17, 19 एवं 27 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम के गत 07 वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 27.07.2012 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर गत 09 वर्ष में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें—

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आश्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही हैं।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिकों की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1994-111/ 490

दिनांक :- 21/06/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. सहायक निदेशक (एपीएआर) मुख्यालय।
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1.....
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय मुख्यालय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली हेतु मूल आवेदन पत्र/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग।


(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)